सूचना पत्र	संसदीय कार्य मंत्रालय	2018	
			राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन नेवा: डिजिटल विधानमंडलों के लिए
		अंक 02	

	संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों पर निर्भर करता है। एक निश्चित अवधि के लिए संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय आकार में छोटा होने के बावजूद केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। संसद में सरकार की ओर से इस विविध और विशाल संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में सरकार एवं संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। मई, 1949 में मुख्य रूप से सौंपे गए उपरोक्त कार्यों के साथ एक विभाग के रूप में स्थापित यह अब एक सम्पूर्ण मंत्रालय है https://mpa.gov.in
भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय +91 11 23017663 secympa@nic.in	

विषय सूची

आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) का प्रस्ताव 3

कार्य योजना 4

संसद भवन में मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) का शुभारंभ.....5

नेवा के संबंध में राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ ई-विधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग.....5

ई-विधान कार्यान्वयन के सफर के दौरान चुनौतियों से निपटने हेतु कार्य योजना में 14 मील के पत्थर:
हिमाचल प्रदेश का अनुभव.....7

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन (डीपीआर):.....7

2. अपेक्षित निधिकरण 7

3. ई-विधान समिति का गठन 7

4. ई-शासन और सामान्य प्रयोजनों हेतु आवास समिति का गठन..... 7

5. आर.एफ.पी. दस्तावेजों की तैयारी और खुला टेंडर जारी करना.....7

6. हार्डवेयर खरीद.....7

7. इंटरनेट कनेक्टिविटी 7

8. तकनीकी जनशक्ति का नियोजन..... 7

9. विधानसभा में बुनियादी ढांचे का विकास 7

10. ई-विधान साफ्टवेयर का विकास 8

11. सरकारी विभागों को विधानसभा के साथ जोड़ना.....8

12. विधायकों को विधानसभा के साथ जोड़ना.....8

13. क्षमता निर्माण 8

14. प्रक्रिया नियमों का आशोधन 9

ई-विधान : लोस रास राज्यों में एप्लिकेशन.....9

नेवा एप्लिकेशन की विशेषताएं.....9

कार्य की व्यापकता.....10

समय-सीमा.....11

राज्य सभा का होमपेज.....13

लोक सभा का होमपेज.....13

विधानसभा (हिमाचल प्रदेश) का होमपेज.....14

विधानसभा (ओडीशा) का होमपेज.....14

मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट..... 15

आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग में फरवरी 2018 में ई-विधान राष्ट्रीय एमएमपी (मिशन मोड परियोजना) को केंद्र द्वारा 739 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ केंद्रीय क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए 60:40 पैटर्न पर जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 आधार पर वित्त पोषण के आधार पर मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों को कम-कागज वाली डिजिटल विधान प्रक्रिया को अपनाने के लिए पूरी मदद दी जा सकती है

नेवा - एकल डेटाबेस उदाहरण के साथ एक मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन

1. पणधारी
    - भारतीय संसद (लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय)
    - सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
    - सभी राज्यों के विधानमंडल
    - राज्य सरकारों के सभी विभाग
    - संसद सदस्य
    - राज्य विधानमंडलों के सदस्य

1. कागज-पत्रों का सभापटल पर रखा जाना
    क. संबंधित सरकारी विभाग द्वारा सभी रिपोर्टों/सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों को अपलोड किया जाना।
    ख. सुरक्षित मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यों को सभापटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना।
    ग. सभापटल पर रखे गए सभी कागज-पत्रों का पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशन।

2. दैनिक कार्य के कागज-पत्रों का प्रकाशन
    क. संसद और सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा कार्यसूची, समाचार, सभापटल पर रखे गए कागज-पत्रों, सारांश, प्रश्न सूची इत्यादि जैसे दैनिक कार्य के कागज-पत्रों का प्रकाशन।

3. प्रश्न/उत्तर
    क. सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रश्नों की प्रविष्टि।
    ख. संबंधित सरकारी विभागों द्वारा प्रश्नों के उत्तरों की प्रविष्टि।
    ग. प्रश्नकाल के पश्चात संसद और सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा पब्लिक पोर्टल पर प्रश्नों का प्रकाशन।
    घ. सुरक्षित मोबाइल ऐप के माध्यम से सदस्यों को प्रश्न/उत्तर उपलब्ध कराना।
    ड. पब्लिक पोर्टल पर प्रश्न और उत्तरों का प्रकाशन।

4. समितियां

क. समितियों की बैठकों की समय-सारणी।

ख. समितियों की बैठकों की कार्यसूची।

ग. संसद और सभी राज्य विधानमंडलों की संबंधित समिति शाखाओं द्वारा समितियों की रिपोर्ट अपलोड करना (सभापटल पर रखने के लिए)।

घ. सुरक्षित मोबाइल ऐप के माध्यम से सभापटल पर रखने के दिन सदस्यों को रिपोर्टों तक पहुंच प्रदान करना।

ड. सदन में सभापटल पर रखे जाने के पश्चात पब्लिक पोर्टल पर रिपोर्टों का प्रकाशन।

5. विधान

क. मंत्रालयों द्वारा सरकारी विधेयकों को अपलोड करना - पुरःस्थापन हेतु।

ख. सरकारी विधेयकों के विभिन्न रूपांतरों को अपलोड करना।

ग. सदस्यों द्वारा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को अपलोड करना।

घ. राज्य विधानमंडलों द्वारा विधेयकों के डेटाबेस का रखरखाव।

6. सदस्य

क. राज्य विधानमंडल के सदस्यों के केंद्रीय डेटाबेस का रखरखाव करना।

ख. पब्लिक पोर्टल पर सदस्यों का जीवनवृत्त उपलब्ध कराना

7. अपने-अपने राज्य विधानमंडलों के लिए एडमिन अकाउंट

क. सत्रों, सत्र की तारीखों, सदस्यों, भाषाओं, रिपोर्ट के प्रकारों आदि के संबंध में मास्टर डेटाबेस का रखरखाव करना।

कार्य योजना

एनआईसी की भूमिका

- नेवा को क्लाउड सर्वर (2x2) पर एप्लीकेशन और डेटा सर्वर के लिए @P40 उदाहरणों के साथ होस्ट किया जाना है।
- डेटा शीट तैयार करना।
- प्रयोगकर्ता नियम पुस्तिका तैयार करना।
- राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकीकरण ।
- सीपीएमयू और "आदर्श सहायता केंद्र"

संसदीय कार्य मंत्रालय की भूमिका

- समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देश का मसौदा तैयार करना।
- संशोधित ईएफसी टिप्पणी
- जागरूकता सृजक कार्यशालाएं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- आई.ई.सी. सामग्री।

लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय की भूमिका

- स्वीकृति से पहले जांच हेतु सेंपल डेटा को हमें उपयोग करने की अनुमति देना।
- मार्गदर्शन और परामर्शदाता

राज्य विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय की भूमिका

- डेटा की जांच के लिए मौजूदा जनशक्ति का प्रयोग करना।
- सहायता केंद्र स्थापित करना।
- चरण 1 में सहायता करने के लिए जनशक्ति नियोजित करना।
- यदि वे "इन हाऊस ऑटोमेशन" चुनते हैं तो "संशोधित डी.पी.आर. और कार्य प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग" प्रस्तुत करें।
- नेवा वर्जन 1.0 को अपग्रेड करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करना।

संसद भवन में मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) का शुभारंभ

व्यापक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाने के उद्देश्य के साथ ई-विधान मिशन मोड परियोजना के नोडल मंत्रालय के रूप में, यह मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई रणनीति के प्रमुख घटक में से एक है केंद्रीय और साथ ही राज्य स्तर पर परियोजना निगरानी इकाइयाँ स्थापित करना। पूरे देश में नेवा के कार्यान्वयन में तेजी लाने और उसकी निगरानी करने के लिए 19 अप्रैल, 2018 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में प्रथम तल पर केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू), ई-विधान की स्थापना की गई है।

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल ने सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, डॉ. सत्य प्रकाश और सुश्री नंदिता चौधरी, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. भी उपस्थित थे।

नेवा के संबंध में राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ ई-विधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

ई-विधान परियोजना का नोडल मंत्रालय होने के नाते, संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। परियोजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी और एन.आई.सी. के अधिकारी ई-विधान एमएमपी की सफलता के लिए सर्वोपरि हैं। श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को एन.आई.सी. मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानमंडल वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों और राज्यों में एन.आई.सी. के अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद किया था। इस अवसर पर, डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, सुश्री नंदिता चौधरी, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. और एन.आई.सी. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस परस्पर संवाद के दौरान, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने परियोजना की सफलता के लिए नोडल अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सूचना अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर अत्यधिक बल दिया। सचिव ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) की विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट किया, जिसे क्लाउड (मेघराज) पर उपलब्ध कराए जाने वाले और राज्यों के स्थानीय सर्वर से जोड़े जाने के लिए एक मूलभूत उत्पाद के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेवा एक हल्का, सरल और डाउनलोड करने व प्रचालित करने के लिए आसान एप्लीकेशन होगी। नेवा का उद्देश्य कागज के प्रयोग को कम करना और सदन (सदनों) में विधायी कार्य के प्रबंधन में स्वचालन लाना है। अधिकतर विशेषताएं, जहां किसी संपादन की जरूरत नहीं होती, बिना किसी कूंजी/पासवर्ड के नागरिकों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगी। इसमें विधानमंडलों/विधायकों के अनन्य उपयोग के लिए आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुलभ होने वाली बहुत कम विशेषताएं होंगी। सचिव ने राज्य सूचना अधिकारियों/राज्यों में एन.आई.सी. के अन्य अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका पर बल दिया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। उन्हें 2-3 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परियोजना के साथ सहयोजित किया जाएगा।

चूंकि, राज्य विधानमंडलों के डिजिटलीकरण से काफी हद तक कागज के प्रयोग को कम करके वातावरण की स्वच्छता में मदद मिलने की संभावना है, इसलिए 16 से 30 अप्रैल, 2018 तक मंत्रालय द्वारा मनाए गए स्वच्छता पखवाड़े के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद के लिए 26 अप्रैल, 2018 को विशेष रूप से चुना गया था।

ई-विधान कार्यान्वयन के सफर के दौरान चुनौतियों से निपटने हेतु कार्य योजना में 14 मील के पत्थर: हिमाचल प्रदेश का अनुभव

1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन (डीपीआर): एनआईसी द्वारा सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके सदन के कार्यचालन, जिसमें सदन की समितियों, उसके सचिवालय और माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख शामिल है, से संबंधित प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसे 2013 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2. अपेक्षित निधिकरण: डीपीआर के अनुमोदन के बाद, हिमाचल प्रदेश में ई-विधान प्रणाली को विकसित करने और लागू करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "भारत सार्वजनिक सेवाओं का ई-परिदान डीपीएल परियोजना" के तहत 2013 के अंत तक भारत सरकार से प्राप्त आवश्यक धनराशि।

3. ई-विधान समिति का गठन (35+ बैठकें हो चुकी हैं): सितंबर, 2013 में, मदों को अनुमोदित करने, ई-विधान परियोजना की निगरानी और संचालन करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों, एनआईसी, एनआईसीएसआई और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (आईटी विभाग) को शामिल करते हुए माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता में मासिक बैठकें आयोजित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

4. ई-शासन और सामान्य प्रयोजनों हेतु आवास समिति का गठन (17+ बैठकें हो चुकी है): अप्रैल, 2015 में, राज्य में ई-विधान प्रणाली और ई-शासन के अन्य मामलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए माननीय

अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सात सदस्यों को शामिल किया गया था।

5. आर.एफ.पी. दस्तावेजों की तैयारी और खुला टेंडर जारी करना: हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर विकास के लिए जनशक्ति और सिस्टम के दिन-प्रतिदिन के निष्पादन में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एनआईसीएसआई, नई दिल्ली द्वारा आर.एफ.पी. दस्तावेज तैयार किए गए और टेंडर जारी किए गए।

6. हार्डवेयर खरीद: बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर प्रदान किया गया। विधायकों सहित मंत्रियों और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए।

7. इंटरनेट कनेक्टिविटी: शिमला और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दोनों परिसरों में 34 MBPS की इंटरनेट लीज्ड लाइन प्रदान की गई। मंत्रियों सहित विधायकों को इंटरनेट डोंगल प्रदान किए गए।

8. तकनीकी जनशक्ति का नियोजन : सॉफ्टवेयर विकास और ई-विधान समाधान के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी जनशक्ति नियोजित की गई। सॉफ्टवेयर के पूरा होने के बाद सॉफ्टवेयर विकास के लिए नियोजित जनशक्ति को रोक दिया गया, जबकि ई-विधान प्रणाली के सुचारू कार्यचालन और रखरखाव के लिए अति आवश्यक जनशक्ति को जारी रखा गया है।

9. विधानसभा में बुनियादी ढांचे का विकास: • डिजिटल विधानसभा सदन:- प्रत्येक सदस्य की मेज पर स्थापित टच स्क्रीन, डिस्प्ले पैनल्स, ई-विधान नियंत्रण कक्ष, ऑडियो / वीडियो रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीडिया कर्मियों के लिए स्थापित टच स्क्रीन। • ई-विधान समाधान में सहायता करने के लिए ई-विधान विंग। • माननीय विधायकों के लिए ई-सुविधा केंद्र • माननीय विधायकों सहित मंत्रियों, विधानसभा सचिवालय और सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाई-टेक प्रशिक्षण कक्ष • डिजिटल लाइब्रेरी • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डेटा सेंटर।

10. ई-विधान साफ्टवेयर का विकास : • .NET MVC प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वेबसाइट (http://evidhan.nic.in) विकसित की गई। • .NET MVC प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सुरक्षित वेबसाइट (https://secure.evidhan.nic.in) विकसित की गई। •.NET WPF प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सदन में कागज-पत्रों को ई-बुक के रूप में सभापटल पर रखने के लिए सॉफ्टवेयर। • स्मार्ट फोन और टैबलेट के लिए मोबाइल एप्लिकेशन नेटिव और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित की गई। • वेबसाइटों को नेशनल क्लाउड (मेघराज) में होस्ट किया गया है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्थानीय डेटा केंद्र के साथ स्वत: समकालीन (auto-syncing) बनाया गया है। • बहुभाषी और यूनिकोड अनुवर्ती सॉफ्टवेयर • सर्वसंबंधित को सूचना भेजने के लिए एस.एम.एस. और ई-मेल गेटवे के साथ एकीकरण। • विधानसभा सदस्यों के कागज रहित कामकाज से संबंधित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के अलावा, विधानसभा सचिवालय की विभिन्न शाखाओं जैसे विधान, एम.ए.एस. शाखा, लेखा, स्थापना, प्रशासन, जन संपर्क आदि के लिए भी मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। • ई-विधान सॉफ्टवेयर का आईपीआर एनआईसी के पास है। • ई-विधान सॉफ्टवेयर सूट जिसमें सार्वजनिक वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, हाउस एप्लिकेशन और मोबाइल एप शामिल हैं, विधानमंडलों की कार्यचालन प्रक्रिया जटिलता और बदलाव बावजूद भी काफी मजबूत हो गया है क्योंकि अभी तक 10 लाइव विधानसभा सत्र (6 शिमला में और 3 धर्मशाला में) सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

11. सरकारी विभागों को विधानसभा के साथ जोड़ना: सरकार के सचिवालय के 54 विभाग ई-विधान की सुरक्षित वेबसाइट में कार्य-प्रवाह और भूमिका-आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करके उत्तर / सूचना भेजने के लिए विधानसभा से सीधे जुड़े हुए हैं जबकि उनसे सुरक्षित ई-विधान वेबसाइट का प्रयोग करते हुए सरकार के सचिवालय द्वारा जवाब की मांग करने के लिए 84 विभागाध्यक्षों और 36 उपक्रमों / निगमों को सरकारी सचिवालय के साथ और जोड़ा गया है।

12. विधानसभा सदस्यों को विधानसभा के साथ जोड़ना: मंत्रियों सहित सभी विधायक ई-विधान की सुरक्षित वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल ऐप में कार्य-प्रवाह और भूमिका आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन प्रश्न और नोटिस भेजने के लिए विधानसभा से जुड़े हुए हैं।

13. क्षमता निर्माण: • सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई (5)। • विधायकों, विभागों के कर्मचारियों, मीडिया के लिए वेब एप्लिकेशनों और मोबाइल एप्लिकेशनों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए (27)। • माननीय विधायकों और मंत्रियों के लिए परीक्षण विधानसभा सत्र। • कागज-रहित विधानसभा सत्रों की स्वीकृति और अनुकूलनशीलता के बारे में विधानसभा सदस्यों, प्रशासनिक सचिवों और मीडिया के साथ माननीय अध्यक्ष द्वारा कई चरण की चर्चा आयोजित की गई।

14. प्रक्रिया नियमों का आशोधन: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में अपेक्षित संशोधन किए गए हैं।

ई-विधान : लोस रास राज्यों में एप्लिकेशन

नेवा एप्लिकेशन की विशेषताएं

	लोक सभा में एप्लिकेशन	राज्य सभा में एप्लिकेशन	राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन
			वेब और मोबाइल एप्लिकेशनों का उत्पाद (क्लाउड आधारित, मल्टी-टेनेंसी और यूनिकोड अनुपालक)। नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर सुरक्षित वेबसाइट और सार्वजनिक वेबसाइट - द्विभाषी। आधार सक्षम लॉगिन।
1	ई-नोटिस, प्रश्न बैलेटिंग और प्रबंधन प्रणाली तथा लोकसभा के लिए संसद प्रश्न उत्तर प्रबंधन प्रणाली	ई-नोटिस, संसद प्रश्न प्रसंस्करण प्रणाली (द्विभाषी) और संसद प्रश्न / उत्तर प्रकाशन प्रणाली	ई-सत्र एम.आई.एस.:- (i) ई-कार्यसूची (ii) प्रश्न और नोटिस, (iii) प्रश्नों और नोटिसों पर कार्रवाई, (iv) विभागों से उत्तर, विधेयक और अन्य कागजात, (v) ई-बुक साफ्टवेयर और ऑटो-पब्लिशिंग का प्रयोग करते हुए विधानसभा सदन में कागज-पत्रों का सभापटल पर टच-स्क्रीन आधारित रखा जाना, (vi) डिजिटल लाइब्रेरी, (vii) रिकॉर्डिंग शब्दशः, (viii) कैलेंडर, समाचार आदि सहित ई-नोटिस बोर्ड, (ix) टच स्क्रीन आधारित ई-मतदान मॉड्यूल (x) चर्चा का समय एम.आई.एस., (xi) सदन कार्य नियंत्रक मॉड्यूल, (xii) सदन में लेखनी/टच स्क्रीन आधारित ई-संदेश, (xiii) प्रवेश पत्र, (xiv) पुलिस सत्यापन।

2	कैलेंडर, कार्य और समाचार प्रबंधन प्रणाली	कैलेंडर, कार्य और समाचार प्रबंधन प्रणाली	ई-सत्र एम.आई.एस. का अभिन्न अंग
3	समितियों प्रबंधन प्रणाली	वेब आधारित समिति एम.आई.एस.	ई-समिति प्रणाली: - (i) लेखापरीक्षा पैरा, आश्वासन और प्रश्नावली, (ii) विभागों से उत्तर (लेखापरीक्षा पैरा, आश्वासन और प्रश्नावली), (iii) ऑनलाइन समीक्षा (मासिक बैठकों के दौरान), (iv) रिकॉर्डिंग शब्दशः (v) समिति की रिपोर्टें।
4	लोक सभा के लिए कागज-पत्र परिचालन और विधायी विधेयक प्रबंधन प्रणाली	ऑनलाइन कागज-पत्र परिचालन और विधेयक सूचना प्रणाली	ई-सत्र एम.आई.एस. का अभिन्न अंग
5	लोक सभा रिपोर्टरों के लिए शब्दश: प्रबंधन प्रणाली	राज्य सभा के लिए शब्दश: तैयारी प्रणाली	पाठ और डिजिटल ऑडियो / वीडियो सहित शब्दशः रिकॉर्डिंग एम.आई.एस.
6	लोकसभा सदस्यों का पोर्टल, सदस्य उपस्थिति एप्लिकेशन और लोक सभा सदस्यों को भुगतान का विवरण	राज्य सभा सदस्य उपस्थिति प्रणाली हेतु सदस्य लॉगइन और ई-एमएसए	सदस्य डैशबोर्ड (विधानसभा सदस्य, मंत्री और अध्यक्ष) ई-उपस्थिति एम.आई.एस.
7	लोक सभा का एकीकृत वेब पोर्टल (अंग्रेजी और हिन्दी)	राज्य सभा वेबसाइट (अंग्रेजी और हिंदी)	नेशनल क्लाउड पर (मेघराज) आधार-आधारित एकल साइन-इन एकीकृत सुरक्षित वेबसाइट और सार्वजनिक वेबसाइट
8	सरकारी आश्वासन प्रबंधन प्रणाली	सीजीए-एमआईएस	ई-समिति प्रणाली का अभिन्न अंग
9	ई-संदर्भ प्रणाली		संदर्भ एमआईएस

कार्य की व्यापकता

हम संभवत: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय एप्लिकेशन को अपनाने के लिए मना सकते हैं क्योंकि हमें 40 से अधिक सदनों और 54,00 निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें शामिल करना है। इसके अलावा सदनों की स्वयं की डिजिटल एप्लिकेशन हैं जो काफी समय से परिचालन में हैं।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन				
क्र.सं.	पी/ए/सी	सदन	नाम	सदस्य
1	पी.1	एच.01	राज्य सभा	250
2	पी.2	एच.02	लोक सभा	545
3	ए.1	एच.03	आन्ध्र प्रदेश विधानसभा	176
4	ए.2	एच.04	अरूणाचल प्रदेश विधानसभा	60

5	ए.3	एच.05	असम विधानसभा	126
6	ए.4	एच.06	बिहार विधानसभा	243
7	ए.5	एच.07	छत्तीसगढ़ विधानसभा	91
8	ए.6	एच.08	दिल्ली विधानसभा	70
9	ए.7	एच.09	गुजरात विधानसभा	182
10	ए.8	एच.10	गोवा विधानसभा	40
11	ए.9	एच.11	हरियाणा विधानसभा	90
12	ए.10	एच.12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	68
13	ए.11	एच.13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	89
14	ए.12	एच.14	झारखंड विधानसभा	82
15	ए.13	एच.15	कर्नाटक विधानसभा	225
16	ए.14	एच.16	केरल विधानसभा	141
17	ए.15	एच.17	मध्य प्रदेश विधानसभा	231
18	ए.16	एच.18	मणिपुर विधानसभा	60
19	ए.17	एच.19	महाराष्ट्र विधानसभा	278
20	ए.18	एच.20	मेघालय विधानसभा	60
21	ए.19	एच.21	मिजोरम विधानसभा	40
22	ए.20	एच.22	नागालैंड विधानसभा	60
23	ए.21	एच.23	ओडीशा विधानसभा	147
24	ए.22	एच.24	पंजाब विधानसभा	117
25	ए.23	एच.25	पुदुचेरी विधानसभा	30
26	ए.24	एच.26	राजस्थान विधानसभा	200
27	ए.25	एच.27	सिक्किम विधानसभा	32
28	ए.26	एच.28	तमिलनाडु विधानसभा	235
29	ए.27	एच.29	तेलंगाना विधानसभा	120
30	ए.28	एच.30	त्रिपुरा विधानसभा	60
31	ए.29	एच.31	उत्तराखंड विधानसभा	71
32	ए.30	एच.32	उत्तर प्रदेश विधानसभा	404
33	ए.31	एच.33	पश्चिम बंगाल विधानसभा	294
34	सी.1	एच.34	आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद	58
35	सी.2	एच.35	बिहार विधान परिषद	75
36	सी.3	एच.36	जम्मू और कश्मीर विधान परिषद	36
37	सी.4	एच.37	कर्नाटक विधान परिषद	75
38	सी.5	एच.38	महाराष्ट्र विधान परिषद	78
39	सी.6	एच.39	तेलंगाना विधान परिषद	40
40	सी.7	एच.40	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	100
सदन 40 (संसद 2, विधानसभा 31, विधान परिषद 7)				5359

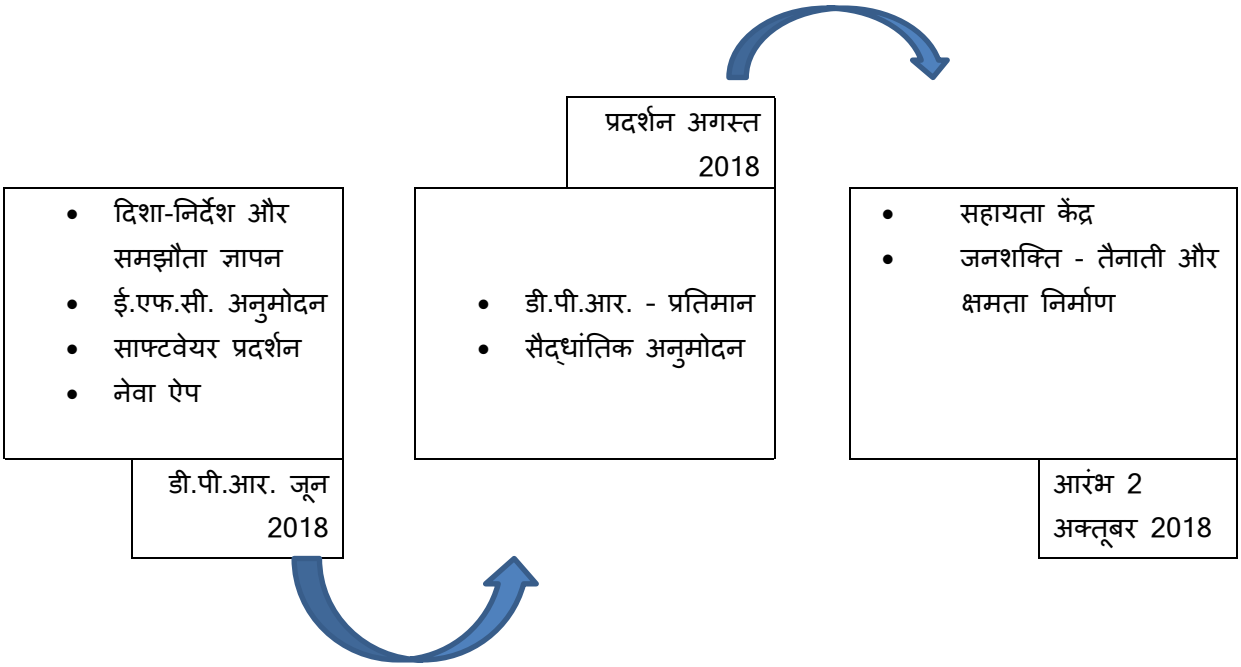
प्रदर्शन अगस्त 2018
दिशा-निर्देश और समझौता ज्ञापन
ई.एफ.सी. अनुमोदन
साफ्टवेयर प्रदर्शन
नेवा ऐप
डी.पी.आर. - प्रतिमान
सैद्धांतिक अनुमोदन
सहायता केंद्र
जनशक्ति - तैनाती और क्षमता निर्माण
डी.पी.आर. जून 2018
आरंभ 2 अक्तूबर 2018

राज्य सभा का होमपेज

लोक सभा का होमपेज

विधानसभा (हिमाचल प्रदेश) का होमपेज

विधानसभा (ओडीशा) का होमपेज

मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट